रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052021-226994
CG-DL-E-15052021-226994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 2021/वैशाख 25, 1943
No. 149] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 2021/VAISAKHA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2021

मामला सं. : ए डी (ओआई) 48/2020

विषय : चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैल- मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 6/56/2020-डीजीटीआर.—1. मै. इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे ''आईएसएमए'' अथवा ''आवेदक'' भी कहा गया है), ने (i) विशेष आर्थिक जोन में स्थित एक इकाई (''एसईजैड इकाई'') मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड, (ii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित एक इकाई (''डीटीए इकाई'') मै. जूपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड, तथा (iii) मै. जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड (''डीटीए इकाई'') की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., थाइलैंड तथा वियतनाम (जिन्हें यहां आगे **"**संबद्ध देश**"** भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित सोलर सैल- मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं (जिसे यहां आगे **"**संबद्ध वस्तु**"** अथवा **"**विचाराधीन उत्पाद**"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित संबद्ध देशों के मूल के अथवा से निर्यातित सोलर सैल- मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद सोलर सैल- मॉड्यूल या पैनल में संयोजित हों अथवा नहीं, - है । इसे नीचे परिभाषित किया गया है :

सोलर सैल एक ठोस अवस्था का विद्युतीय यंत्र है जो फोटोवल्टेक प्रभाव द्वारा सूरज के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है सोलर सैलों का व्यवहारिक उपयोग करने के लिए उन्हें पैनलों या मॉड्यूल में रखा जाता है और सोलर पैनल/मॉ्ड्यूल को सोलर सैल के संयोजन के रूप में पैकेज्ड और जोड़ा जाता है । विद्युतीय कनेक्शन की श्रृंखला में सोलर सैल के लिए किए जाते हैं ताकि वांछित वॉटेज का उत्पादन किया जा सके और/या वांछित वर्तमान क्षमता प्राप्त करने हेतु समानांतर रखे जाते हैं । सोलर सैलों के ऐसे संयोजन को सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल कहा जाता है ।

4. संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए दो प्रमुख प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं ये हैं (1) क्रिस्टलीन सिलिकोन (सी-एसआई) आधारित सोलर सैल प्रौद्योगिकी जिसे सिलिकोन वेफर-आधारित प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है और (2) थिन फिल्म प्रौद्योगिकी (टीएफटी) । थिन फिल्म प्रौद्योगिकी ने सेमी कंडक्टर सामग्री के रूप में एमोरुस सिलिकॉन, केडमियम टेलेरियम (सीडीटीई) या कॉपर इंडियम गेलियम सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है । सी-एसआई प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी दोनों सोलर सैल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं ।

5. सोलर सैल को बाजार की शब्दावली में फोटोवोल्टेक सैल के नाम से भी जाना जाता है । फोटोवोल्टेक आणविक स्तर पर सर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलना है । कुछ सामग्रियों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिन्हें फोटो इलैक्ट्रिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है जिसकी वजह से वे प्रकाश से फोटोन अवशोषित करती हैं और इलैक्ट्रोन उत्सर्जित करती हैं । जब इन मुक्त इलैक्ट्रॉनों को इलैक्ट्रिक करंट परिणामों में एकत्रित किया जाता है तो उसका प्रयोग बिजली के रूप में हो सकता है । सेमी कंडक्टर सामग्रियां जैसे माइक्रोइलेक्ट्रोनिक उद्योग में प्रयुक्त सिलिकॉन में ऐसे फोटो इलैक्ट्रिक प्रभाव होते हैं, जब प्रकाश की उर्जा सेमी कंडक्टर सामग्री से टकराती है तो सेमी कंडक्टर सामग्री में परमाणु से इलैक्ट्रोन मुक्त हो जाते हैं । यदि इलैक्ट्रिक कंडक्टर को विद्युतीय सर्किट बनाते हुए पॉजिटिव और नगेटिव साइड में लगा दिया जाए तो इलैक्ट्रोन को इलैक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत के रूप में संरक्षित किया जा सकता है ।

6. संबद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क अध्याय शीर्ष 8541 4011 के तहत वर्गीकृत हैं । जब संबद्ध वस्तु को मॉड्यूल या पैनल में असेम्बल किया जाता है तो ये 8541.10.12 के तहत वर्गीकृत होते हैं । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं ।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई खास अंतर नहीं है । तद्नुसार, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को इस जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु से समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा मै. जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ("डीटीए इकाई"), जूपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड, ("डीटीए इकाई") तथा मुन्द्रा सोलर प्रा.लिमिटेड, ("एसईजैड इकाई") की ओर से दायर किया गया है । प्राधिकारी ने समान उत्पाद की रक्षोपाय जांच के मूल/समीक्षा जांच परिणाम दिनांक 16.7.2018 और 18.7.2020 के अनुसार घरेलू उद्योग के दायरे को डीटीए इकाइयों अर्थात जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और जूपिटर सोलर पावर लिमिटेड तक ही सीमित रखा है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन दो डीटीए इकाइयों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है ।

9. अत: प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि ऊपर उल्लिखित दो डीटीए इकाइयां नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य - चीन जन.गण.

10. आवेदक ने बताया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी आधार पर किया जाना चाहिए :

क. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत

ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य

ग. ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत

घ. भारत में वस्तुत: प्रदत्त या देय कीमत जिसे तर्कसंगत लाभ जोड़कर समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर

11. आवेदक ने दावा किया है कि इसके अनुपालन में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य या कीमत, ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य या प्रकाशित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अत: आवेदक ने किसी अन्य तर्कसंगत आधार अर्थात भारत में उत्पादन लागत जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, के आधार पर प्रत्येक संबद्ध वस्तु के लिए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है।

सामान्य मूल्य - थाइलैंड और वियतनाम

12. आवेदक ने थाइलैंड और वियतनाम की घरेलू बाजार में बिक्री की वास्तविक सौदा कीमत संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए थे। तथापि, उत्पादकों की वास्तविक सौदा कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, प्रकाशित आयात आंकड़ों जैसे ट्रेड मैप ने केडब्ल्यूएच के अनुसार माप की कोई इकाई नहीं दी गई है, जिसके अभाव में थाइलैंड या वियतनाम से किसी तीसरे उचित देश को निर्यातित वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत ज्ञात करना व्यवहारिक नहीं है। तद्नुसार, किसी उचित तीसरे देश को संबद्ध देश/देशों से निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। आवेदक ने थाइलैंड और वियतनाम में संबद्ध सामान की असली उत्पादन लागत प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। तथापि, कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपब्ध नहीं था। अत: आवेदक ने थाइलैंड और वियतनाम में सामान्य मूल्य का दावा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

ड. निर्यात कीमत

13. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय और संभलाई प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन, ऋण लागत तथा निर्यातों पर गैर-वापसी योग्य वैट के लिए कीमत कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजित किया गया है।

च. पाटन मार्जिन

14. ऊपर यथानिर्धारित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वसतु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है जिसे पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है जिससे जांच की शुरूआत न्यायोचित है।

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

15. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई असली क्षति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव के सकारात्मक साक्ष्य हैं। घरेलू उद्योग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (जिसे आगे सीपीएसयू कहा गया है) स्कीम के अंतर्गत बिक्री करने में सक्षम है परंतु भारत में खुले बाजार में बिक्री नहीं कर सकता है। पी ओ आई के दौरान खुले बाजार में आवेदक की बिक्री मात्रा नगण्य है जिसमें आयात उससे प्रतिस्पर्धा करते है। सीपीएसयू स्कीम के अंतर्गत बिक्री करने के बाद भी आवेदक के पास अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हो रही है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

16. आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा निम्न को सिद्ध करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर (क) चीन जन गण, थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैलों – मॉड्यूल या पैनलों में संयोजित हों अथवा नहीं, के पाटन (ख) घरेलू उद्योग को हुई क्षति और (ग) कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(क) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

17. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम हैं।

ञ. जांच की अवधि

18 कोविड महामारी के माहौल को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) जुलाई, 2019 से दिसंबर, 2020 (18 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2016- 2017, 2017- 2018, 2018- 2019, 2019-20 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

ट. प्रक्रिया

19. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारो, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रोनिक रूप में रखने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ढ असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2021

Case No. AD (OI)-48/2020

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of —SOLAR CELLS WHETHER OR NOT ASSEMBLED INTO MODULES OR PANELS originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam.

F. No. 6/56/2020-DGTR.—M/s. Indian Solar Manufacturers Association (hereinafter also referred to as 'ISMA' or the 'applicant'), on behalf of (i) M/s. Mundra Solar PV Limited, a unit in a Special Economic Zone ("SEZ unit"); (ii) M/s. Jupiter Solar Power Limited, a unit in the Domestic Tariff Area ("DTA unit") and (iii) M/s. Jupiter International Limited ("DTA unit"), has filed an application seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of 'Solar Cells whether or not assembled into modules or panels' (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR , Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as 'subject countries') before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules').

2. The Applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of solar cells whether or not assembled into modules or panels , originating in or exported from the respective subject countries and has requested for imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

A. <u>Product under consideration</u>

3. The product under consideration in the present petition is 'Solar Cells whether or not assembled into modules or panels' which is defined as follows:

   Solar cells are also known as photovoltaic cells. Solar cell is a solid-state electrical device that converts sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. To make practical use of solar cells, they are placed in panels or modules and a solar panel/module is a packaged, connected assembly of solar cells. Electrical connections are made to the solar cells in series to achieve desired output wattage and/or in parallel to provide a desired current capability. Such an assembly of solar cells is called solar panel or solar module.

4. There are two major technologies available for manufacturing the subject goods. They are: (1) Crystalline silicon (c-Si) based solar cell technology which is also known as silicon wafer-based technology and (2) Thin film technology (TFT). The thin film technology may also use,

Amorphous Silicon, Cadmium Tellurium (CdTe) or Copper Indium Gallium Selenium as semiconductor materials. Solar cells of both c-Si technology and Thin Film Technology are covered within the scope of the product under consideration.

5. Solar cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic is the direct conversion of sun light into electricity at the atomic level. Some materials exhibit a property known as the photoelectric effect that causes them to absorb photons of light and release electrons. When these free electrons are captured electric current results, which can be used as electricity. Semiconductor materials such as silicon used in microelectronics industry possess such photoelectric effect. When light energy strikes the semiconductor material, electrons are knocked loose from the atoms in the semiconductor material. If electrical conductors are attached to the positive and negative sides, forming an electrical circuit, the electrons can be captured in the form of an electric current i.e. electricity.

6. The subject goods are classified under Customs Classification chapter heading 8541 40 11. When the subject goods are assembled into modules or panels, they are classified under 8541.10.12. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

B. <u>Like Article</u>

7. The Applicant has claimed that there are no significant differences between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Accordingly, the subject goods produced by the applicant in India are, prima facie, treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries under Rule 2(d) of the Rules, for the purposes of this investigation.

C. <u>Domestic industry and Standing</u>

8. The application has been filed by Solar Manufacturer's Association on behalf of M/s. Jupiter International Ltd (DTA unit), Jupiter Solar Power Ltd ("DTA Unit") and Mundra Solar PV Ltd ("SEZ Unit"). The Authority has considered the scope of domestic industry restricted to DTA units i.e., Jupiter International Ltd and Jupiter Solar Power Ltd only in accordance with original/review finding dt 16.07.2018 and 18.07.2020 of the safeguard investigation of the same product. There are other producers of the subject goods in India. However, the Authority notes that the production of the two DTA units accounts for a 'major proportion' of total domestic production of the like article in India.

9. The Authority, therefore, determines that the two DTA units mentioned above constitute the domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. <u>Basis of Alleged Dumping</u>

<u>Normal Value – China PR</u>

10. The Applicant has submitted that the Normal Value for China PR should be determined as per Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995 on any of the following basis:

    a. the price in a market economy third country.

    b. constructed value in a market economy third country.

    c. the price from such a third country to other countries, including India.

    d. Any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

11. The Applicant has claimed that pursuant to the same, efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country, price from such a third country to other countries, including India. However, there is no verifiable evidence or published evidence regarding the same. Therefore, the applicant has claimed normal value in China PR for each of the subject goods on any other reasonable basis i.e. on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

Normal Value – Thailand and Vietnam

12. The Applicant made efforts to obtain evidence regarding actual transaction price of sale in the domestic market of Thailand and Vietnam. However, there is no publicly available information regarding actual transaction price of producers. Further, the published import statistics such as trade map do not give the unit of measurement in terms of kwH, in the absence of which it is not practicable to arrive at the per unit price at which the goods are exported from Thailand or Vietnam to an appropriate third country. Accordingly, normal value cannot be determined based on export price from subject country/ies to an appropriate third country. The Applicant made efforts to obtain actual cost of production of the subject goods in Thailand and Vietnam. However, no verifiable evidence was available. Therefore, the applicant has claimed normal value in Thailand and Vietnam on the basis of basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

E. Export Price

13. The applicant has determined export price based on the weighted average import price from subject countries based on DGCI&S data. Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses and handling charges, inland freight, commission, bank charges, credit cost and non-refundable VAT on exports, as applicable, have been made to arrive at the ex-factory export price.

F. Dumping Margin

14. Considering the normal value and export price of the subject goods form the subject countries determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Act. It is noted that dumping margin for the subject goods from each of the subject countries is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the net export prices, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being exported at dumped prices, so as to justify initiation of investigation.

G. Injury and Causal Link

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury of the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding material injury to the domestic industry resulting from the alleged dumping of the subject goods from the subject countries during the period of investigation. There is positive evidence of price undercutting and price suppression and price depression effect on the domestic industry. The domestic industry is able to sell under the Central Public Sector Undertaking (hereinafter referred to as 'CPSU') scheme but not in the open market in India. The volume of sale by the applicant is negligible during POI in the open market in which the imported goods compete with them. Even after making sales under the CPSU Scheme, unutilized capacity exists with the applicants. There is prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from the subject countries.

H. Initiation of Anti-Dumping Investigation

16. On the basis of the duly substantiated written application filed by the Applicant, and prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating (a) dumping of 'Solar Cells whether or not assembled into modules or panels' originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam, (b) injury to the domestic industry, and (c) causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the products under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Subject Country/ies

17. The subject countries for this investigation are China PR, Thailand and Vietnam.

J. Period of Investigation (POI)

18. Keeping in view the COVID pandemic environment, the period of investigation (POI) for the present investigation is July 2019 to December 2020 (18 months). The injury period under investigation will cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the period of investigation.

K. Procedure

19. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

21. The known producers and/or exporters in the subject country, Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of then Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

M. Time-Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

N. Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

P. Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.15 17:31:36 +05'30'